



2026:AHC:59477

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11401/2026

सौरभ चोपड़ा एवं 2 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: ऋषिका राज सिंघल, शिवेन्द्र राज सिंघल

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आवेदन, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, दिनांक 24.02.2026 के समन आदेश तथा दिनांक 03.02.2023 के परिवाद वाद संख्या 84 वर्ष 2023 (आकांक्षा चोपड़ा बनाम सौरभ चोपड़ा एवं अन्य), धारा 498-ए एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बन्ना देवी, जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1, अलीगढ़ के समक्ष लंबित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक पति है तथा आवेदक संख्या 2 एवं 3 प्रतिपक्षी संख्या 2 के ससुर एवं सास हैं। वर्तमान परिवाद असत्य एवं निराधार है और दुर्भावनापूर्ण आशय से दायर किया गया है। आवेदकों के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं तथा आवेदक ने कभी भी प्रतिपक्षी संख्या 2 से दहेज की मांग नहीं



की। परिवाद में लगाए गए आरोप किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं तथा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज साक्षियों के बयान अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करते हैं। शिकायत में लगाए गए सभी आरोप केवल आवेदकों को परेशान करने के लिए गढ़े गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक संख्या 2 और 3 वृद्ध व्यक्ति हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं; उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विपक्षी संख्या 2 को प्रताड़ित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के प्रावधानों के आलोक में वर्तमान शिकायत पोषणीय नहीं है, क्योंकि इस शिकायत में अधिकतम सजा तीन वर्ष है और वर्तमान शिकायत तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद दर्ज की गई है। आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। इसके अलावा, शिकायत के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायत दर्ज करने का कोई उचित कारण मौजूद नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क मामले के तथ्यात्मक पहलू हैं, जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता।

5. आवेदन में लिए गए आधारों से स्पष्ट होता है कि उनमें से अनेक विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों से संबंधित हैं। इस न्यायालय का मत है कि यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन करना विचारण न्यायालय का कार्य है। यह न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी अधिकारिता ग्रहण नहीं कर सकता और विधि द्वारा प्रदत्त विचारण की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता। यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों की श्रृंखला में स्थापित किया गया है कि यदि विवादित आपराधिक कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, तो उसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तथापि, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विचारण पूर्व अवस्था में सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में, अत्यंत सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, जहाँ स्पष्ट रूप से यह प्रतीत होता हो कि आपराधिक कार्यवाही के संस्थापन या उसके



निरंतरता पर कोई विधिक बाधा है, अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप-पत्र में किए गए आरोप तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत सामग्री को उनके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने पर भी किसी अपराध का गठन नहीं होता हो। विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों तथा अभियुक्त के प्रतिरक्षा को इस विचारण पूर्व अवस्था में विचार में नहीं लिया जा सकता।

6. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। परिवाद के अवलोकन से यह आरोप है कि आवेदक संख्या 1 एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 का विवाह वर्ष 2018 में संपन्न हुआ था तथा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। जब उक्त मांग पूरी नहीं की गई, तब प्रतिपक्षी संख्या 2 को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा तथा दिनांक 26.06.2022 को उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवादी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसने आवेदकों के विरुद्ध दहेज मांग, छेड़छाड़ एवं प्रताड़ना के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए हैं। आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होता है। न्यायालय इस स्तर पर अभियुक्त के दोषसिद्धि के संबंध में मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मानिक बी. बनाम कडपाला श्रेयस रेड्डी एवं अन्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 642 के प्रकरण में अपने निर्णय में (पैरा 6 एवं 7) निम्नलिखित अभिलिखित किया है:-

"6. साक्ष्यों की गवाही भरोसेमंद है या नहीं, इसका पता मुख्य परीक्षा और साक्ष्यों की जिरह से लगाया जाना चाहिए, जब वे विचारण के चरण में गवाह के कटघरे में खड़े होते हैं।

7. हमारी सुविचारित राय में, धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ऐसा अभ्यास करना स्वीकार्य नहीं है।"

7. उपरोक्त के आलोक में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, मानिक बी. बनाम कडपाला श्रेयस रेड्डी एवं अन्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 642, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 एसीसी (सीआर.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा 1992 एसीसी (सीआर.) 192 और



अंत में जंजू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं अन्य (पैरा - 10) (2005) एसीसी (सीआर.) 283, के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रकाश में, उपरोक्त मामले की कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है। अतः, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त कार्यवाही किसी भी प्रकार की अवैधता या विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है।

8. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन निराधार है तथा तदनुसार निरस्त किया जाता है।

23 मार्च, 2026

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)